न्यायालय उपजिलाधीश लालसोट जिला दौसा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोपाल जांगीड़ आ.ए.एस.

रेवन्यू वाद संख्या– 53 / 17

दिनांक रजु– 4/5/17

1. गोरधन
2. भजनलाल
3. चिंरजीलाल
4. मूलचन्द
5. रमेश
6. राजेन्द्र

पि0 भूराराम

7. तीजा देवी बेवा पत्नी भूराराम

जाति माली निवासी डिडवाना वालो की ढाणी ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम

1. झुथाराम पुत्र रामनाथ (फौत)

1/1 माधोलाल
1/2 गोपाल

पि0 झुथालाल जाति माली निवासी ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

1/3 शांन्ति पत्नी श्रीचन्द
1/4 केला पत्नी गोपीलाल

जाति माली निवासी लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

2. राज0 सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वादपत्र उदघोषणा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक : 31-7-20

उपस्थित :– 1. श्री रमेश चन्द सैनी एडवोकेट वादीगण की ओर से

2. श्री कमलेश सैनी एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से

प्रतिवादी संख्या 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एक वादपत्र उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0 नं0 559 / 178 रकबा 5 बीघा वाकै ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट जिला दौसा मे स्थित है। आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख मे उक्त कृषि भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

के नाम दर्ज है जबकि वास्तविक रूप से मौके पर वादीगण का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। आराजी खसरा नं0 559/178 रकबा 5 बीघा ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट के हिस्सा 1/2 पर वादीगण तथा हिस्सा 1/2 पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है परन्तु राजस्व अभिलेख मे आराजी वादग्रस्त की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। आराजी वादग्रस्त संयुक्त हिन्दू परिवारी की सम्पत्ति है जिसे संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से क्रय किया था परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 संयुक्त हिन्दू परिवर का कर्ता खानदान होने के कारण आराजी वादग्रस्त का विक्रय पत्र अपने नाम पंजिकृत करवा लिया गया था। पूर्व मे आराजी वादग्रस्त के बाबत कभी कोई विवाद नही था परन्तु अब प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे फितुर पैदा हो गया है इसलिए अ बवह अपने नाम दर्ज बोगस खातेदारी के इन्द्राजात के आधार पर वादीगण के कब्जे काश्त मे व्यधान पैदा करता है जिसका उसे किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। वादीगण के पिता की मृत्यु से पूर्व किसी प्रकार का आराजी वादग्रस्त बाबत विवाद नही था। परन्तु अर्सा करीब 6 वर्ष पूर्व वादीगण के पिता की मृत्यु होने के बाद आराजी वादग्रस्त बाबत विवाद उत्पन्न होने पर पक्षकारन के मध्य दिनांक 01–02–2017 को पारिवारिक समझोता पत्र लिखा गया तथा मुताबिक पारिवारिक समझौता पत्र के प्रतिवादी संख्या 1 ने आराजी वादगस्त हिस्सा 1/2 को संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होना माना है तथा वादग्रस्त हिस्सा मे वादीगण का हिस्सा 1/2 स्वीकार किया है तथा उस समय विवाद शान्त हो गया था। परन्तु अब पुनः प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे फितुर पैदा हो गया इसलिए अब वह पुनः आराजी वादग्रस्त को विक्रय करने व वादीगण के कब्जे काश्त मे दखल पैदा करने पर आमादा है। दिनांक 05–04–2017 को प्रतिवादी संख्या 1 आराजी वादग्रस्त पर आ गया तथा वादीगण से कहा कि यह जमीन मेरे नाम है इसलिए तुम्हे काश्त नही करने दूंगा वादीगण द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादी संख्या 1 नाराज हो गया तथा वादीगण को धमकी देकर गया कि अब मै तुझे इस जमीन पर काश्त नही करने दूंगा तथा इसका विक्रय दीगर व्यक्ति को करूंगा। प्रतिवादी संख्या 1 की इस ही धमकी से विनाय मुखास्मत पैदा होकर वादीगण को अपने हकूक की रक्षार्थ यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पडा है। आराजी वादग्रस्त पक्षकारान के संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को चरण संख्या 3 मे वर्णित हिस्सेनुसार खातेदारी का इन्द्राज राजस्व अभिलेख मे अपने नाम करवाने हेतू कानूनन अधिकृत है। वादीगण गुश्तहक है कि वह इस आशय की उद्घोषणा न्यायालय हाजा से जारी करवाए कि आराजी वादग्रस्त संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति होने के कारण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज खातेदारी को लोपित किया जाकर उसके स्थान पर आराजी खसरा नं0 559/178 रकबा 5 बीघा वाकै

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट मे वादी को हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज करने हेतू प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश फरमावें। वादी कानूनन मुश्तहक है कि वह इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिबंधित करवाऐ कि प्रतिवादी संख्या 1 आराजी वादग्रस्त पर वादीगण के कब्जे काश्त मे दखल पैदा करने से व विक्रय रहन व हस्तान्तरण करने से स्वयं अपने परिवारजन सहित प्रतिबंधित रहें।

वादपत्र पेश होने पर कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये तथा दिनांक 08–05–2017 को पत्रावली न्याय आपके द्वारा कैम्प राजौली मे पेश हुई जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब वादपत्र व प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते उचित आदेश दिनांक 03– 07–2017 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 14–07–2020 को गिरकर पेश हुई वास्ते उचित आदेश दिनांक 16–07–2020 को पेश है। दिनांक 16–07–2020 को पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हुआ वह पत्रावली पर उपलब्ध है तथा दिनांक 14–07–2020 को प्रतिवादी संख्या 1 झुथांलाल फौत हो जाने पर प्रार्थना पत्र कामय मुकाम पेश किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 झुथालाल के वारिसान की तरफ से श्री कमलेश सैनी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र कामय मुकाम स्वीकार करने मे पक्षकारान को कोई आपत्ति नही है इस प्रकार प्रार्थना पत्र कामय मुकाम स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 झुथालाल के वारिसान माधोलाल माली वगै0 के मध्य पुनः राजीनामा दिनांक 14–07–2020 को हो जाने बाबत प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22– 07–2020 को पेश है।

पत्रावली मे बहस अंन्तिम उभय पक्षकारान अधिवक्तागण सूनी गई दौराने बहस वादीगण की ओर अपने वादपत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि आराजी भूमि पर वादीगण का अपने पूर्वजो के समय से ही अनवरत बिना विघ्न परेशानी के खातेदारान की जानकारी मे आधिपत्य बदस्तुर चला आ रहा है। पक्षकारान आपस मे सगे भाई बन्ध है पूर्व मे खातेदारी कर्ताखान होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चली आ रही थी जिस बाबत वादीगण द्वारा पारिवारिक समझौतानामा दिनांक 01–02–2017 पत्रावली मे प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 झुथालाल द्वारा राजीनामा दिनाक 08–05–2017 तथा वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमे कथन किया गया कि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई उज्र ऐतराज नही है। इस प्रकार से वादीगण द्वारा अपने

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

वाद पत्र को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया गया है तथा वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से जवाब मे निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई उज्र ऐतराज नही है।

प्रकरण मे बहस अंन्तिम पक्षकारान अधिवक्तागण को सुना गया पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया इससे वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 1 झुथालाल द्वारा पारिवारिक समझौता व राजीनामा हो जाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 झुथालाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान द्वारा पुनः राजीनामा प्रस्तुत किये जाने तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्ताजोत के आधार पर वादीगण का वाद पत्र प्राथमिक तौर पर डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री किया जाकर आराजी ख0 नं0 559/178 रकबा 5 बीघा [illegible] वाकै ग्राम श्योनन्दा तहसील लालसोट जिला दौसा का वादीगण को उक्त आराजी के हिस्सा 1/2 का खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से सैदेव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त भूमि मे वादीगण के हिस्सा 1/2 की आराजी के कब्जे काश्त बुआई जुताई आदि कृषि कार्य करने कराने मे किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न करे न करावे । तदनुसार उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख मे पालना करने हेतु तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है कि नियमानुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-7-20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट ... (राज०
लालसोट